भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4617
गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पवन पार्क परियोजना</u>

4617. श्री राजबहादुर सिंह:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री प्रताप चंद्र सारंगी:
श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत पवन पार्क परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या देश में गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पवन विद्युत क्षमता में वृद्धि हुई है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा फुटप्रिंट का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में किसी संकर पार्क परियोजना का प्रस्ताव किया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ङ) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा उत्पादन को पुन:जीवित करने के लिए कोई पहल की है क्योंकि गत कुछ वर्षों में इसमें भारी कमी आई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) देश में पवन विद्युत की संचयी स्थापित क्षमता (दिनांक 28.02.2022 की स्थिति के अनुसार) 40129 मेगावाट है।

(ख) पवन विद्युत की संचयी स्थापित क्षमता (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार) 34145 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 40129 मेगावाट (28.02.2022 की स्थिति के अनुसार) हो गई है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जोड़ी गई पवन विद्युत क्षमता निम्नानुसार है:

2018-19: 1480.97 मेगावाट
2019-20: 2117.79 मेगावाट
2020-21: 1503.3 मेगावाट
2021-22: 882.72 मेगावाट (28.02.2022 की स्थिति के अनुसार)

(ग) से (च): पवन विद्युत परियोजनाएं परियोजना की प्रौद्योगिकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अधिकांशत: निजी डेवलपरों द्वारा स्थापित की जाती हैं। सरकार ने मध्य प्रदेश समेत देश में पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना,
- लगाओ और चलाओ (प्लग एंड प्ले) आधार पर अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना,
- अक्षय विद्युत की निकासी हेतु नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव के लिए कुशल मानवश्रम जुटाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विशेषकर पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- पवन विद्युत जनरेटरों के निर्माण के लिए अपेक्षित कुछ कंपोनेंटों पर रियायती सीमा शुल्क छूट।
- 31 मार्च को या उससे पहले चालू की गई पवन परियोजनाओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के माध्यम से संभावित स्थलों का पवन संसाधन आकलन और निर्धारण सहित तकनीकी सहायता।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 424.4 मेगावाट क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाएं आवंटित की हैं जो मध्य प्रदेश राज्य में कार्यान्वयनाधीन है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार ने पवन/पवन-सौर हाईब्रिड परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए राज्य स्तरीय बोलियाँ लगाने का निर्णय लिया है।

*****